

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 124 /2024


दिनांक : 10.05.2024

श्रीमती नीलोफर तोमर (RJ01210), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती (करौली) को दिनांक 13.05.2024 से 24.05.2024 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.05.2024 से 26.05.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती (करौली) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/75/2017/ 3650

दिनांक : 10.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 3083 दिनांक 07.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीलोफर तोमर (RJ01210), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती (करौली)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली)।


10/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार